मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची
बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 1991 (श्रावण 16, 1913)
समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री अनूप मिश्रा, श्री राम बहादुर सिंह परिहार, सदस्य, गुना शहर के निकट एक खतरनाक अपराधी की संदिग्ध हत्या की जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य इन्दौर में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में गंभीर अनियमितताएं पाई जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सत्यनारायण शर्मा, कान्तिलाल भूरिया, सदस्य भोपाल के जय प्रकाश चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीजों के साथ की जा रही उपेक्षा की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामराव महाले, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले की सौसर तहसील की रेमण्ड वूलन मिल में मजदूरों का शोषण किये जाने की ओर राज्य मंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3- शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डा. भंवर सिंह पोर्ते, राज्यमंत्री, पशुपालन, मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय विधेयक, 1991 (क्रमांक 21 सन 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 22 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय — **4- संकल्प.**

3 घन्टे — श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन समवेत रूप से केन्द्र शासन की स्वीकृति के लिए लम्बित मध्यप्रदेश की निम्न योजनाओं को प्रदेश के व्यापक हित में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का केन्द्र शासन से अनुरोध करता हैः-

1. गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र.
2. तेल शोधक संयंत्र.
3. दल्लीराजहरा-जगदलपुर रेल मार्ग."

5- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 घन्टा — (1) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को खाद एवं बीज उपलब्ध न हो पाने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान/ राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल/नन्द किशोर खत्री/मदनलाल त्यागी सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा — (2) प्रदेश में बाल श्रमिकों की समस्या के प्रभावी समाधान के संबंध में श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

6- नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा.

45 मिनिट — प्रदेश में नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरित नव-विकसित आवासीय बस्तियों का विकास अवरूद्ध होने के संबंध में श्रीमती जयश्री बनर्जी, सदस्या चर्चा उठायेंगी.

7- नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.

(1) दिनांक 3 जुलाई, 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 519) के उत्तर से उदभूत विषय पर सर्वश्री गोपी कृष्ण नेमा, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 24 जुलाई, 1991 को विधि मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 241) के उत्तर से उदभूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक 6 अगस्त, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा